

826 122
11/01/12

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



26. रमिन्द्र जी. ए. ए. (निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, अमरीश कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. वेणी जलद
आयु 63 वर्ष, जो 176/3 राधकृष्णन जवालापुर हरिद्वार

का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

ऐसे किसी लंघित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभ्यर्थी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं: क्र. अल 14/2004

(ii) पुलिस थाना (थाने): हरिद्वार जिला (जिले): हरिद्वार राज्य उत्तराखण्ड

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है: 147, 148, 353, 332 धारा 2

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई: 09-08-2005
मानद न्यायालय सी. जे. एम. महोदय हरिद्वार

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे: 09-08-2005

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है: मानद जज ला. जल/सज न्यायाधीश हरिद्वार, निगरानी लाभ है

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

✓

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। नाही

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-


- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं
(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है नहीं
(iii) पुलिस थाना (थाने) नाही जिला (जिले)
राज्य.....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....

(vi) दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....


स्थान रोशनबाद
तारीख 11-01-2012


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

रोशनबाद स्थान पर आज तारीख 11-01-2012 को सत्यापित किया।


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

ATTESTED

SURENDRA KUMAR

NOTARY ADVOCATE

DISTT. COURT, HARDWAR

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्टाम्प, जो अभिसाक्षी को दिये जा रहे हैं, सही हैं।

ATTESTED BY 

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 252425

Sub 122
11/01/12



Surenora Kumar